10 Rs

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१० रु. **TEN RUPEES** 10 Rs.

यह ... स्टाम्प पेपर ... मैसर्स ... ग्राम ... जिला - बुलन्दशहर के लेटर पेड ... के साथ संलग्न

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ
11-8-2003

10 Rs.

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१०रु. **TEN RUPEES** 10RS.

यह अंकित स्टाम्प पेपर निशान गाजपुर शिक्षा समिति [illegible]
ग्रा० स्याना जिला - बुलन्दशहर के नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि
के साथ संलग्न है।

कार्यालय [illegible] रजिस्ट्रार [illegible] मेरठ

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ
17-8-2003

–: नियमावली :–

1. संस्था का नाम :– किसान मजदूर शिक्षा समिति।

2. संस्था का पूरा पता :– ग्राम किसौली पो0 खास जिला बुलन्दशहर,

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– समस्त मेरठ मण्डल रहेगा।

4. संस्था का वित्तिय वर्ष :– 1 अप्रैल से 31 मार्च

5. संस्था के उद्देश्य :– इसके स्मृति–पत्र के अनुसार होंगे।

6. संस्था की सदस्यता :– संस्था के सदस्यों की निम्न पात्रता होनी आवश्यक है :–

1) संस्था की सदस्यता : सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, सजा पाया हुआ न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो और संस्था के उद्देश्यों के प्रति रूचि रखता हो। वह व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकता है।

1- [signature]

2) सदस्यों के वर्ग

(क) आजीवन सदस्य संस्थापक मण्डल की संस्तुति पर कोई भी व्यक्ति जो सोसायटी के उद्देश्यों में रूचि व नियमों में निष्ठा रखता हो व 1100/रू० देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

2- [signature] 04-8-03

(ख) साधारण सदस्य संस्थापक मण्डल की संस्तुति पर कोई भी व्यक्ति जो सोसायटी के उद्देश्यों में रूचि व नियमों में निष्ठा रखता हो व 501/रू० देकर ~~आजीवन~~ साधारण सदस्य सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
डिप्टी रजिस्ट्रार

3- [signature]

क्रमश –2–

—: स्मृति पत्र :—

1. संस्था का नाम :— किसान मजदूर शिक्षा समिति,

2. संस्था का पूरा पता :— ग्राम किशोलीपी0 खास जिला बुलन्दशहर,

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :— समस्त मेरठ मण्डल रहेगा।

4. संस्था के उद्देश्य :— समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगें :—

1) सामाजिक उत्थाने हेतु वृद्धाश्रम, प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र, स्वास्थय केन्द्र, अनाथ आश्रम, शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना व संचालन करना।

2) परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थय सम्बन्धी परियोजनाओं को संचालित करना व सहयोग देना।

3) समिति के कार्यक्षेत्र में शिक्षा के प्रचार हेतु स्कूल, कोलेजों, विद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना।

4) शिक्षा के उत्थान के लिये अजायबघरों, प्रयोगशालाओं, क्रीड़ा स्थलों पुस्ताकालयों, वाचनालयों, छात्रावासी, स्वास्थ्य केन्द्रों, कार्यशालाओं रंगशालाओं, संगीत केन्द्र, बाल मनोंरजन पार्को आदि की स्थापना, प्रबन्ध व संचालन करना।

1. चरनसिंह
2. रणवीरसिंह
3. [signature]
4. ओमप्रकाश
5. Bal Pal Singh
6. रामपाल
7. [signature]

[illegible] (दिनांक) 04-8-03

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

क्रमश —2—

5) यह है कि संस्था की प्रबन्ध कारिणी समिति के नाम, पिता का नाम, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1:- चरन सिंह पुत्र श्री करम सिंह,	ग्राम पो0 जहांगीरपुर बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2:- रनवीर सिंह पुत्र श्री हनुमत सिंह	ग्रा0 व पो0 तैमूर बु0शहर	उपाध्यक्ष	""
3:- बृजराज सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह	ग्राम व पो0 किरौली बु0 शहर	[illegible]/सचिव	""
4:- ओमप्रकाश पुत्र श्री मनफूल सिंह	ग्राम व पो0 किरौली बुलन्दशहर	उपसचिव	""
5:- बीरपाल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह	ग्राम व पो0 किरौली बुलन्दशहर	कोषाध्यक्ष	""
6:- श्री रेमपाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह	ग्राम व पौ जहांगीर पुर बुलन्दशहर	सदस्य	""
7:- श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री कमल सिंह	ग्राम व पो0 रन्दोई बु0शहर,	""	""

बृजराजसिंह

वीरपालसिंह

संशोधन (दिनांक) 04-8-03

6. हम इस लेख द्वारा प्रमाणित करते है कि हमने उक्त समिति का गठन किया है और इसे सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

1- चरनसिंह 4- ओमप्रकाश 7- [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

2. रनवीरसिंह 5- Beerpal Singh

दिनांक 17/7/03

डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

8. संस्था की सदस्यता हेतु अनिवार्यतायें :

1) सदस्य की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

2) स्वस्थ मस्तिष्क व सर्वोदय विचार व नैतिक आचरण वाला हो।

3) दिवालिया न हो।

4) घोषित अपराधी न हो या सजायाफ्ता न हो।

5) सोसायटी की नियमावली व आदेशों में पूर्ण निष्ठा रखते हो।

6) नये सदस्यों की सदस्यता में प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति आवश्यक होगी।

9. सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

1) अपना त्याग पत्र स्वयं सचिव के नाम देने व प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा स्वीकृत होने पर।

2) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

3) पागल अथवा दिवालिया घोषित होने पर।

4) अदालत द्वारा अपराधी घोषित होने पर।

5) वार्षिक शुल्क न देने पर।

6) सोसायटी के आदर्शो व विधान के विरूद्ध कार्य करने व अकमर्णय होने पर, प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी, कारण सं0 2, 3, 4 व 5 से सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

1- चरनसिंह

2 रणवीरसिंह

नवीकरण (दिनांक) 04-8-03

2 बच्चनसिंह

10. संस्था के अंग :– संस्था के दो अंग होंगे :

अ) साधारण सभा

ब) प्रबन्धकारिणी समिति

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

क्रमश –3–

11. साधारण सभा का विस्तृत रूप :-

1) गठन : संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर एक साधारण समिति का गठन किया जायेगा।

2) बैठकें : साधारण समिति की सामान्य बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है परन्तु वार्षिक बैठक वित्तिय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) के पश्चात् तीन माह के अन्दर अवश्य होनी चाहिये।

3) सूचना : सामान्य बैठक के लिये सूचना 10 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

4) कोरम : किसी भी बैठक के लिये कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 या 7 सदस्य में जो अधिक हो होगा।

5) अधिकार एवं कर्तव्य :

1. प्रत्येक पांच वर्ष बाद प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा पास करना।
3. संस्था के वार्षिक बजट पारित करना।
4. प्र0 का0 सं0 के प्रस्ताव पर समिति के सविधान व नियमावली में परिवर्तन, संशोधन परिवर्तन करना। इसके लिये आहूत सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की सहमति आवश्यक होगी।
5. अन्य सभी वे महत्वपूर्ण कार्य जो संस्था के उद्देश्यों व आदर्शों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है, करना।

1- चरनसिंह

2- रणवीरसिंह

2- सत्यप्रकाशसिंह

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

प्रा0 ति0 (दिनांक) 04-8-03

क्रमश -4-

12. प्रबन्धकारिणी समिति :–

1) गठन : प्रत्येक पांच वर्ष बाद साधारण सभा द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूर्णकर प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जायेगा।

2) बैठक : प्रबन्धकारिणी की सामान्य वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती है।

3) सूचना : सामान्य बैठक के लिये सूचना 15 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 3 दिन पूर्व स्पेशल मैसेन्जर अथवा दस्ती दी जा सकती है।

4) कोरम : कुल सुरक्षा का 2/3 होगी।

5) कार्यकाल : गठन की तिथि से 5 वर्ष होगा।

6) रिक्त पद की पूर्ति : अगर किसी कारण वश प्रबन्ध कारिणी में कोई पद चुनाव से पहले रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा से चुनाव के समय तक के लिये कर ली जायेगी।

7) प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :

1) संस्था का प्रबन्ध संचालन करना।

2) आय–व्यय बजट तैयार कर साधारण सभा द्वारा पास कराना।

3) अन्य व समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हों।

13. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीगण :

1. अध्यक्ष	एक
2. उपाध्यक्ष	एक

सत्य प्रतिलिपि

क्रमश –5–

3. सचिव — एक
4. कोषाध्यक्ष — एक

5. सदस्य

14. संस्था के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष :

1) संस्था की सभी बैठकों की अनुमति प्रदान करना व उनकी अध्यक्षता करना।
2) संस्था के कोष व चल अचल सम्पत्ति के रख-रखाव की व्यवस्था तथा निर्माण में सहयोग करना।
3) समान मत आने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देना।
4) आवश्कतानुसार संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5) संस्था के हित में अन्य सभी कार्य करना।

2. उपध्यक्ष :

अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

3. सचिव / [redacted] :

1) संस्था की बैठकों को आहुत करना।
2.) संस्था की बैठकों में पारित प्रस्तावों को वान्छित पुस्तकों में लिखकर उनका सत्यापन कराकर स्थायी रूप से सुरक्षित रखना।
3.) पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना व समय-2 पर उस सम्बन्ध में हुई प्रगति से प्रबन्धकारिणी समिति को अवगत कराना।
4.) संस्था के कार्य संचालन के लिये आवश्यक वैतनिक अवैतनिक अथवा मान धन पर प्रबन्धकारिणी समिति की संस्तुति से नियुक्तिया करना व सेवा मुक्त करना।

डिप्टी रजिस्ट्रार

क्रमश -6-

5.) अध्यक्ष की आज्ञा से उक्त समितियों का निर्माण करना और उनके लिये पदाधिकारियों की व्यवस्था करना, सचिव प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा।

6.) संस्था की ओर समस्त पत्र व्यवहार करना।

7.) संस्था के लिये दान अनुदान व ऋण आदि प्राप्त करना।

8.) समस्त सरकारी गैरसरकारी कार्यालयों व नयायालयों में संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व करना।

9.) संस्था के कोष व चल अचल सम्पत्ति का रखाव कोषाध्यक्ष की सहायता से करना।

10.) संस्था के कार्यालय का संचालन करना।

11.) समस्त अभिलेखों व दस्तावेजो का स्थायी रूप से सुरक्षित रखना।

12.) संस्था के सभी प्रकाशन सचिव या अध्यक्ष के नाम से प्रकाशित होगें।

13.) सचिव अध्यक्ष की सहमति से सभी भुगतान करायेगा।

14.) पे बिल आदि सभी बिलों पर सचिव के हस्ताक्षर होगें।

4. उपसचिव / ~~[illegible]~~ : सचिव महोदय की अनुपरिस्थिति में सचिव के समस्त अधिकार उपसचिव को निहित होगें।

संशोधित प्रतिस्थापन (दिनांक) 04-8-03

5. कोषाध्यक्ष : 1. संस्था के कोष की देख भाल करना। चन्दा शुल्क दान अनुदान प्राप्त कर रसीद देना।

2. सोसायटी का बजट सचिव व अध्यक्ष की सहमति से तैयार करना।

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

क्रमश –7–

3. सोसायटी के खातों को अपने अधिकार में सुरक्षित रखना।

4. सभी खर्चों की व्यवस्था सचिव की सहमति से करना।

5. संस्था के अभिलेखो/खातों का आडिट प्र0 का0 सा0 द्वारा नियुक्ति आडिटर से करवाना।

15. आय व्यय निरिक्षण : संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट किसी मनोनीत सदस्य अथवा सी0 ए0 द्वारा किया जायेगा।

16. संस्था के कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1. संस्था के सदस्यों द्वारा प्रदन्त चन्दे व शुल्क द्वारा

2. दान अनुदान व ऋण द्वारा

3. राजकीय अनुदान एवं अन्य संगठनों द्वारा प्रदत्त ऋण व सहायक समिति का कोष किसी बैंक में सुरक्षित रखा जायेगा जिसके लिये चालू/बचत/ फिकराह/आवर्ती जमा खाते खोले जा सकते है, उक्त बैंकों से लेन देन कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर व अध्यक्ष या सचिव दोनों में से एक के हस्ताक्षर के साथ होगा, बैंक खाते कई नगरों व बैंकों में परिस्थिति के अनुसार खोले जा सकते है।

17. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन :

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया संस्थापक मण्डल की अनुमति से साधारण सभा द्वारा 2/3 वहुमति होने पर मान्य होगी।

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

18. कानूनी कार्यवाही : 1.) संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव द्वारा की जायेगी।

2.) संस्था की न्यायिक क्षेत्र होगा। सभी प्रकार के दावे इसी स्थान से स्वरूप संस्था पंजीकृत अधिनियम 1860 के अनुसार होगें।

19. संस्था के अभिलेख :- निम्न अभिलेखों का रख-रखाव सचिव व कोषाध्यक्ष आवश्यकतानुसार करेंगे।

1. सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर 4. डाक रजिस्टर
5. कैश बुक 6. लेजर
7. रसीद बुक आदि।

20. संस्था का विघटन :- किन्हीं कारणों से संस्था के विघटन की परिस्थितियों में संस्था का विघटन संस्था पंजीकृत अधिनियम 1860 धारा 13 व 14 के अनुसार होगी।

दिनांक : 12/7/03

पंजीकरण (दिनांक) 04-8-03 सत्यप्रतिलिपि

1. चरनसिंह

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ
11-8-2003

2. रणधीरसिंह